Tuesday, July 26, 1977/Sravana 4, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER : I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Rameshwar Tantia, who passed away at Bombay on the 22nd July, 1977 after a protected illness at the age of 67.

Shri Tantia was a member of the Second and Third Lok Sabha during the years 1957-67 representing Sikar constituency of Rajasthan.

A well-known industrialist, he was connected with several industries in the country. He was also associated with several social welfare organisations. A prolific Hindi writer, he wrote several books on varied topics. An unassuming and simple person, he was liked by one and all who came in touch with him.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family. The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The hon. Members then stood in silence for a short while.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

*625. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के सम्बन्ध में जब भी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे वहां पर उनकी सूटेबिलिटी नहीं है, वे योग्य नहीं हैं उसी तरह से यहां पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह मिल जाता है कि इंफार्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को सोच सकते हैं कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य विभाग सबसे छोटा विभाग है और जो अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या है वह, अगर आप कमिश्नर की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें दिया गया हैं कि वह नहीं के बराबर हैं और जहां तक मेरी और सदन की जानकारी है वह बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके बाद भी मंत्री महोदय वह जानकारी हासिल नहीं कर पाये। हम लोग 21 दिन पहले प्रश्न करते हैं, मैं समझता हूं 21 दिन का समय काफी होता है एक जवाब को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनका विभाग सक्षम नहीं है या ये सक्षम नहीं हैं या जो इसके संचालनकर्ता हैं उनके मन में कुछ और है .....
(व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह जान-बूझ कर सवाल को टाला जा रहा है। हमेशा इसी तरह से टाला जाता है। 21 दिन में जवाब दिया जा सकता है फिर मंत्री जी कैसे कहते है कि जानकारी नहीं है। सरकार के पास सभी प्रकार के साधन हैं फिर ये कैसे कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब इन के पास सारी इनफर्मेशन क्लैक्ट करने के हथियार हैं, तब फिर यह इन्फर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है ? आप जानते हैं कि हम लोगों को प्रश्न पूछने में कितनी दिक्कत होती हैं, सब से पहले तो बैलट में नम्बर आना मुश्किल है, उस के बाद यदि पहला नम्बर आ जाय, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अब उत्तर में मंत्री महोदय कहते हैं कि सदन के पटल पर रख दिया जायेगा, इस का मतलब है कि हम प्रश्न ही नहीं पूछ सकेंगे।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—उनके सामने इन्फर्मेशन क्लैक्ट करने में क्या दिक्कत है, क्या उन का डिपार्टमेन्ट सक्षम नहीं हैं या डिपार्टमेंट के अधिकारी जवाब नहीं देना चाहते हैं ? दूसरे—वे इस का जवाब कितने दिनों में दे सकेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया, क्योंकि मैं स्वयं अपने पहले जवाब से सन्तुष्ट नहीं था। माननीय सदस्य ने कहा कि 21 दिन का नोटिस देते हैं—इस प्रश्न का नोटिस विभाग को 18 जुलाई को मिला। चूंकि मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता था, इस लिए मैं चाहता था कि इस प्रश्न का पूरा उत्तर तब दूं जब पूरी जानकारी मेरे पास आ जाये। फिर भी मैंने अपने विभाग से कहा कि जितनी जानकारी आ चुकी है, कम से कम उतनी जानकारी मुझे दे दी जाय, ताकि यदि कोई सप्लीमेण्ट्री प्रश्न पूछा जाय तो जो जानकारी मेरे पास हो, वह दे सकूं।

सब से पहले तो मैं यह बतला दूं कि जो हमारा लेजिस्लेटिव विभाग है, उस की जानकारी एक हफ्ते के अन्दर नहीं आ सकी है। दूसरे जो हमारा इनकमटैक्स एपलेट ट्रिब्युनल है, जिस का हैड आफिस बम्बई में है, उस से भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। लेकिन जो जानकारी आ गई है, उस को देखते हुए मुझे यह बतलाने में खुशी है कि माननीय सदस्य का यह कहना कि उन की संख्या बिल्कुल नहीं के बराबर है, वह सही नहीं है। इस विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या 255 है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की संख्या 56 है ....

श्री सूरज भान : लेकिन कौन सी कैटेगरी में हैं ?

श्री शान्ति भूषण : मुझे खुशी है कि आप ने यह बात भी पूछ ली। डिपार्टमेण्ट आफ लीगल अफेयर्स में क्लास 1 सर्विस में, जिसे ग्रुप ए कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या 5 है . . .

श्री सूरज भान : आउट आफ ?

श्री शान्ति भूषण : अभी चूंकि पूरी जानकारी के लिए वक्त लगेगा इसलिए यह जानकारी भी बाद में दे दी जायगी। जैसा माननीय सदस्य समझते हैं कि 21 दिन का समय दे दिया गया है, अगर 21 दिन का समय मिल जाता तो पर्याप्त जानकारी इकट्ठी की जा सकती थी, लेकिन एक हफ्ते का समय था, इस लिए पूरी जानकारी नहीं मिल सकी।

माननीय सदस्य ने स्वयं यह कहा है कि यह विभाग बहुत छोटा है और जब यह विभाग इतना छोटा है तो यह जानकारी तीन हफ्ते में मालूम हो जानी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि विभाग छोटा है और इस छोटे विभाग को देखते हुए इस में 255 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 56 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का होना—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह काफी है, और ज्यादा नहीं होना चाहिए —लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना कि बिल्कुल नहीं के बराबर है, इस को बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं कहा जा सकता है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Let the Minister give a target date. Let the hon. Minister assure the House that on such and such date he will give the answer. The question can be postponed till that date in this session. (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : Mr. Speaker. Sir, the hon. Minister has himself admitted that he cannot give the complete answer. Therefore, let us not have the discussion today. Let him furnish the complete information.

(*Interruptions*)

श्री शान्तिभूषण : क्लास 2 में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या 17 है, ट्राइब्स का एक भी नहीं है। यह मैं डिपार्टमेण्ट आफ लीगल अफेअर्स के बारे में बतला रहा हूं।

MR. SPEAKER : Mr. Minister, do you want more time to answer this question?

SHRI SHANTI BHUSHAN : I want another two weeks to answer this question fully.

May I answer the question fully on the last day of this session ?

SHRI VASANT SATHE : He should be ready next Tuesday.

MR. SPEAKER : You can get full information within one week. This question is transferred to next Tuesday.

AN HON. MEMBER : It should be the first question.

MR. SPEAKER : Let it be the first question on next Tuesday.

PROF. P. G. MAVALANKAR : The minister said that this particular question, which got the first position in the ballot for today, had reached the ministry as late as 18th July. We give 21 days' notice so that the minister can get full information. If it reached his ministry only on 18th July, it means only 9 days were left for his ministry to get the information. What has happened to the remaining 11 days? If this sort of thing takes place, we will have many more questions like this where the ministry concerned will not be able to get the full information.

MR. SPEAKER : I will look into it. Next question.

प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों के लिए हरिजनों का कोटा

*626. श्री राम सागर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हरिजनों के आरक्षित कोटे को नियमों के अनुसार नहीं भरा गया है; यदि हां, तो इस कोटे को पूरा करने